



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2133]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2019/आषाढ़ 13, 1941

No. 2133]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2019/ASHADHA 13, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2019

**का.आ. 2352(अ).**—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री जगत प्रकाश नड्डा के स्थान पर डॉ. हर्ष वर्धन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का सदस्य नामित करती है तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 16 जुलाई, 2015 को प्रकाशित दिनांक 16 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. वी-16011/01/2015-आईएनआई-1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और इससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"1. डॉ. हर्ष वर्धन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, नई दिल्ली।

[फा. सं. वी.16011/01/2015-आईएनआई-1]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :** प्रधान अधिसूचना को दिनांक 16.07.2015 के का. आ. 1924 (अ.) के तहत भारत के राजपत्र (अ.) में प्रकाशित किया गया और निम्नानुसार आगे संशोधित किया गया:

- (i) का. आ. 454(अ) दिनांक 12.02.2016
- (ii) का. आ. 1052(अ) दिनांक 11.03.2016
- (iii) का. आ. 2722(अ) दिनांक 17.08.2016
- (iv) का. आ. 1848(अ) दिनांक 08.06.2017
- (v) का. आ. 3730(अ) दिनांक 24.11.2017
- (vi) का. आ. 2342(अ) दिनांक 7.06.2018
- (vii) का. आ. 1711(अ) दिनांक 9.05.2019

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2019

**S.O. 2352(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 4, read with sub-section (3) of Section 6, of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates, Dr. Harsh Vardhan, Minister of Health & Family Welfare to be a Member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi in place of Shri Jagat Prakash Nadda and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V-16011/01/2015-INI-I dated 16<sup>th</sup> July, 2015 published on 16<sup>th</sup> July, 2015, namely:—

In the said notification for the serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“1. Dr. Harsh Vardhan, Minister of Health & Family Welfare, New Delhi”.

[F. No. V-16011/01/2015-INI-I]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

**Foot Note :** The Principal notification was published in the Gazette of India (E) vide S.O. 1924(E) dated 16.07.2015 and amended further by:

- (i) S.O. 454(E) dated 12.02.2016
- (ii) S.O. 1052(E) dated 11.03.2016.
- (iii) S.O. 2722(E) dated 17.08.2016.
- (iv) S.O. 1848(E) dated 08.06.2017.
- (v) S.O. 3730(E) dated 24.11.2017.
- (vi) S.O. 2342(E) dated 7.06.2018.
- (vii) S.O. 1711(E) dated 9.05.2019

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2019

**का.आ. 2353(अ).**—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) में भारत सरकार की दिनांक 5 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्य, डॉ. हर्ष वर्धन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को उक्त संस्थान का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. वी.16011/01/2015-आईएनआई-1]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2019

**S.O. 2353(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare (Department of Health), dated 5<sup>th</sup> December, 2014, the Central Government hereby nominates Dr. Harsh Vardhan, Minister of Health & Family Welfare, a Member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi to be the President of the said Institute.

[F. No. V-16011/01/2015-INI-I]

SUNIL SHARMA, Jr. Secy.